

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

E-mail Id- dcourtsag-mp@nic.in *Contact no. 07582- 292995

5519

--: ज्ञापन ::--

कं. दो/12-17/2021
प्रति,

सागर दि. 25.10.24

समस्त न्यायिक अधिकारी,
जिला/तहसील न्यायालय
सागर म.प्र.

विषय:- साइबर सुरक्षा हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का पत्र क्रमांक Reg (IT) (SA)/2024/1392 Jabalpur Dated 23-09-2024


-----000-----

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण /कर्मचारीगणों को साइबर सुरक्षा पर अर्ध दिवसीय प्रशिक्षण (03 घंटे) जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी में पदस्थ वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाना है।

अतः उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

कं	फेस क्रमांक	दिनांक व समय	जिला न्यायालय के संबंधित न्यायिक अधिकारी/न्यायिक कर्मचारीगण	तहसील न्यायालय के न्यायिक अधिकारी/कर्मचारीगण	प्रशिक्षण स्थल
01	फेस क्रमांक-01	15.11.2024 प्रातः 10:00 से 01:00 बजे तक	समस्त स्टेनोग्राफर, समस्त साक्ष्य लेखक, समस्त आसंजित लिपिक /सिविल शीडर	तहसील न्यायालयों में पदस्थ संबंधित कर्मचारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के प्रथम तल पर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष
02	फेस क्रमांक-02	दिनांक 15.11.2024 दोपहर 02:00 से 05:00 बजे तक	समस्त निष्पादन लिपिक, कार्यालय/मालखाना/सांख्यिकीय /सिविल/किमिनलअभिलेखागार /प्रतिलिपि/कम्प्यूटर/नजारत/अनुभाग में पदस्थ कर्मचारीगण एवं अन्य समस्त शेष स्टाँफ	तहसील न्यायालयों में पदस्थ संबंधित कर्मचारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के प्रथम तल पर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष
03	फेस क्रमांक-03	दिनांक 23.11.2024 प्रातः 11:00 से 02:00 बजे तक	जिला न्यायालय में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारी	समस्त तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के माध्यम से उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के प्रथम तल पर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष

अतः उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित किये जाने का कष्ट करें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म.प्र.)